18.2.19 प्रार्थी एवं अप्रार्थी (केवियेटर) के अधिवक्ता उपस्थित उपस्थित अधिवक्ताओं की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 19.2.2019 को पेश हो।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

19.2.19 प्रार्थी के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण मे सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे है यदि अपीलाधीन आदेश की पालना नही रोकी गई तो अपीलान्ट के हिस्से की भूमि मे तरमीम कर दी जायेगी, जिससे पक्षकारों मे विविद बढेगा एवं अपीलान्ट को अपूर्णनीय हानि होगी। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.2.2019 की पालना व प्रभाव को स्थगित करंने को आदेश प्रदान करावें।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार, बावडी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलान्ट की राजस्व रेकर्ड मे दर्ज भूमि को प्रभावित नही करते हुए सीमांकन व पत्थरगढी की कार्यवाही सुनिश्चित करें। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टार हो कर, निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

19/2/19
(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिशनर,
जोधपुर

क्रमांक: कोर्ट/DC/19/203 दिनांक 20-2-19
प्रति प्रतिलिपि (1) तहसीलदार-बावडी को पालनार्थ प्रेषित है

आज्ञा से
रीडर
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर